संख्या–170 /USDMA/804 (2020)

प्रेषक,

सचिव,
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग
उत्तराखण्ड़ शासन।

सेवा में,

सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड़ शासन।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून, दिनांक 14 मई, 2020

विषयः COVID-19 के दृष्टिगत उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 की धारा 3(क) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा आपको विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 प्रभावी किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों में, बाजार एवं दुकानों के आस–पास थूकने एवं गंदगी फैलाने का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 की धारा 3(क) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने पर न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार जिलाधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत नामित किये गये प्राधिकृत अधिकारी की श्रेणी में शिथिलता किये जाने हेतु अधिकार प्रदान किए जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव